निविदा सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्तांक्षरी द्वारा रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत वर्ष 2022 लीसा फसल से उत्पादित लीसें के लीसा भरे टिनों को इस वन प्रभाग के जाखणी एवं डुंग्रीपंथ मोटर मार्ग रोड डिपो से ऋषिकेश रेल हेड डिपो तक प्राइवेट ट्रकों द्वारा (लौडिंग/अनलोडिंग सहित) ढुलान करने हेतु पुनः दिनांक 03.11.2022 से दिनांक 10.11.2022 सांय 04.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से निविदा आमंत्रित की जाती है, या स्वयं प्रभागीय कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 11.11.2022 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा नामित अधिकारी द्वारा खोले जायेगें। विलम्ब से प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा प्रपत्र रू 500.00 (पांच सौ) + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 मात्र नगद भुगतान अदा करने पर दिनांक 09.11.2022 को सांय 04.00 बजे तक इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रेषण के लिफाफे के ऊपर की ओर ट्रक द्वारा लीसा ढुलान मय लोडिंग अनलोडिंग अवश्य लिखा होना चाहिए। शर्ते एवं प्रतिबन्ध निम्न प्रकार होंगी, जिसका विवरण निविदा के साथ सलंग्न की जा रही है।

मोटर डिपो से रेल हेड डिपो तक प्राइवेट ट्रकों द्वारा लीसा ढुलान की अनुमानित मात्रा व विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र0सं0	रोड हेड डिपो का नाम	रेंज का नाम	रेल हेड लीसा डिपो ऋषिकेश से अनुमानित दूरी (कि0मी0 में)	अनुमानित लीसे की मात्रा जिसका ढुलान किया जाना है (कु0 में)
1	2	3	4	5
1	जाखणी डिपो (निकटतम राजकीय कार्यालय दक्षिणी जखोली)	उत्तरी/दक्षिणी जखोली	170	982.97
2	डुंग्रीपंथ (निकटतम राजकीय कार्यालय डुंग्रीपंथ)	खांकरा, रूद्रप्रयाग	110	546.15
कुल योग			280	**1529.12**

उपरोक्त अंकित लीसा मात्रा इस वन प्रभाग के पूरे वर्ष के अन्त तक मोटर डिपो पर आने वाले कुल लीसे की है। उक्त लीसा जब जंगल डिपो से मोटर डिपो तक पहुचेगा तो एक माह के भीतर उसका ढुलान रेल हेड डिपो तक करना अनिवार्य है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक – 1431/ 10–1 दिनांक 02/11/2022

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, आई0टी0एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक (गढवाल) उत्तराखण्ड पौडी
3. वन संरक्षक, गढवाल वृत्त उत्तराखण्ड पौडी।
4. जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।
5. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल वृत्त, पौडी।
7. समस्त वन क्षेत्राधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
8. लीसा डिपो अधिकारी, ऋषिकेश।
9. उप प्रभागीय वनाधिकारी जखोली/रूद्रप्रयाग।
10. नोटिस वोर्ड।

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग

शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. प्रत्येक रोड हैड लीसा डिपो से ढुलान की निविदा अलग–अलग देय होंगी। लिफाफे के ऊपर की ओर "ट्रक द्वारा लीसा ढुलान मय लोडिंग–अनलोडिंग" अवश्य लिखा होना चाहिये।
2. प्रत्येक रोड हेड डिपो से ढुलान की निविदा के साथ मु0 रू0 5000.00 की बन्धक धनराशि बचत पत्रों जो कि अधोहस्ताक्षरी के नाम पर निरूपित होगी के रूप मे स्वीकार की जायेगी। पुराने राष्ट्रीय बचत पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. लीसा ढुलान की दरें प्रति कुन्तल मय लोडिंग/अनलोडिंग दी जायेगी, निविदा पर ढुलान दर अंकित पूरे भार में खाली टिन का 1.00 कि0ग्रा0 लिया जायेगा। लीसा भरे टिनों का ढुलान निविदा स्वीकृति की तिथि से एक माह तक लागू होंगी।
4. निविदा फार्म पर कटिंग/ओवर राइटिंग टेण्डारदाता द्वारा सत्यापित/हस्ताक्षरित न होने पर टेण्डर निरस्त किया जायेगा।
5. निविदा की स्वीकृति मिलने के एक सप्ताह के अन्दर निविदा देने वाले ठेके की अनुमति मूल्य का 10 प्रतिशत प्रतिभूमि जमा करनी होगी, और अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। ऐसा न करने पर बन्धक धनराशि की रकम जब्त की जायेगी।
6. निविदा केवल एक ही व्यक्ति, फर्म, सरकारी/गैर सरकारी विभाग/संस्था निकाय के नाम से होनी चाहिये। दो या दो से अधिक व्यक्तियों, फर्मो/सरकारी/गैर सरकारी विभागों/निकायों/संस्थाओं के नाम की निविदा स्वीकार नही की जायेगी। फर्म या कम्पनी की निविदा हो तो उसके साथ नियमित प्रमाण पत्र या उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
7. अनुबन्ध पत्र भरने व प्रतिभूमि जमा करने पर ही ठेके की स्वीकृति मानी जायेगी। जिस ठेके की स्वीकृति वन संरक्षक गढवाल वृत से प्राप्त करनी होगी उसकी स्वीकृति उन्ही पर निर्भर होगी, अस्वीकृति के कारण को प्रकट करने के लिये विभाग बाध्य नही होगा।
8. सम्पूर्ण लीसे का ढुलान निविदादाता द्वारा समय के अन्तर्गत न करने पर विभाग द्वारा अन्य व्यवस्था करने पर अतिरिक्त व्यय का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा, और वह उसके बिल से काटा जायेगा।
9. लीसा ढुलान कार्य के दौरान मार्ग में लीसा क्षति/कमी होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह क्षति एवं कमी लीसे की वसूली बाजार भाव से निविदादाता से कर सकते हैं, जो कि निविदादाता को मान्य होगा।
10. प्रभागीय/विभागीय ट्रक द्वारा किसी रोड हैड डिपो से ऋषिकेश रेल हैड डिपो तक लीसा ढुलान करने पर निविदादाता को हस्ताक्षेप करने का कोई अधिकार नही होगा।
11. निविदा में अंकित लीसा ढुलान की मात्रा अनुमानित है, लीसा की मात्रा घट, बढ सकती है। निविदादाता को लीसा भण्डार में प्राप्त लीसे की मात्रा का ढुलान स्वीकृत निविदा दर पर करना होगा।
12. लीसा भरे टिनों का ढुलान निर्धारित प्रपत्र से नियमानुसार किया जायेगा।
13. निविदा देने के बाद शासन से करों में वृद्धि होना/नये कर लगाने या पेट्रोलियम पदार्थ, मोटर पार्टस के मूल्यों में वृद्धि होने पर स्वीकृत निविदा दरों में कोई वृद्धि नही की जायेगी, और निविदादाता को स्वीकृत दर पर ही अनुबन्ध की अवधि तक अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ढुलान कार्य करना होगा। उन्हें पैट्रोल/डीजल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
14. इस निविदा के संबंध मे सर्वाधिकार प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग को होगा। वे न्यूनतम निविदा दर स्वीकृत करने के लिये बाध्य नही होंगे, अपितु गुणावगुण के आधार पर अपने अपने किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते है।
15. निविदादाता के ढुलान देयकों के भुगतान से शासन द्वारा निर्धारित दर पर आयकर स्टाम्प शुल्क कटौती की जायेगी।
16. ढुलान की दर में रास्ते की चुंगी आदि सभी चार्ज सम्मिलित होगी, विभाग इसके लिये अलग से भुगतान नही करेगा।
17. निविदादाता को निविदा के साथ परिषद रूद्रप्रयाग का व्यवसाय पंजीकरण संलग्न करना होगा।
18. निविदादाता को लीसा भरे टिन लीसा डिपो ऋषिकेश तक ढुलान के दौरान मार्ग में नही उतराने होंगे। लीस भरे टिन को ऋषिकेश तक सुरक्षित पहुंचाने की प्राप्ति रसीद लीसा डिपो अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी।
19. वन क्षेत्राधिकारी द्वारा किसी निविदादाता के विषय में प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
20. निविदादाता व प्रभागीय वनाधिकारी के मध्य निविदा सम्बन्धी शर्तो के अनुपालन पर किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर वन संरक्षक गढवाल वृत्त का निर्णय मान्य होगा।
21. ट्रक को निर्धारित अनुमन्य क्षमता के अनुसार ही लीसा ढुलान किया जायेगा, ट्रक की निर्धारित क्षमता से अधिक लीसा ढुलान करते समय यदि किसी भी प्रकार से लीसा क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा क्षति हुये लीसे की वसूली बाजार भाव पर ट्रक मालिक से की जायेगी।
22. किसी भी कारण से उत्पन्न विवाद के संबध में वाद जनपद के सक्षम न्यायालय में ही मान्य होगा।

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।